न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–10 जयपुर महानगर, प्रथम मुख्यालय सांगानेर।

पीठासीन अधिकारी– राजपाल सिंह, आर.जे.एस.
दाण्डिक विविध जमानत सं.–269/2026 (सीआईएस नं.–538/2026)

रामदेव पुत्र छीतर मल, आयु 37 वर्ष, निवासी ग्राम कुडली, तहसील फागी, थाना फागी, जिला–जयपुर ग्रामीण, हाल कर्मचारी इण्डियन पेट्रोल पंप नेवटा पुलिया कट, रिंग रोड पेट्रोल पंप के पास, मुहाना, थाना मुहाना, जयपुर।

–प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, जयपुर।

––अप्रार्थी/राज्य

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–483 बीएनएसएस
प्र.सू.रि.सं.–347/2026 पुलिस थाना मुहाना, जयपुर दक्षिण।
अपराध अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 119(1), 110 भारतीय न्याय संहिता

उपस्थितः–

1– श्री महेश चन्द्र मौर्य, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2– श्री संजय शर्मा, अपर लोक अभियोजक राजस्थान राज्य की ओर से।

आदेश

दिनांकः 30.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–483 के अंतर्गत हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करवाई गई। अनुसंधान पत्रावली मय तथ्यात्मक रिपोर्ट के तलब की गई।

2. जमानत प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं, कि परिवादी कैलाश जाटव ने दिनांक 18.04.2026 को पुलिस थाना मुहाना, जयपुर दक्षिण के भारसाधक अधिकारी के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की पंजीबद्ध कराई, कि वह सावरिया रेस्टोरेंट मुहाना में 6 माह से कार्य करता है। दिनांक 15.04.2026 को सुबह करीब 3 बजे श्री श्याम पेट्रोल पंप पर काम करने वाले व्यक्ति रामदेव गुर्जर ने पाईप दिखाकर शराब के लिए पैसे मांगे, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। जब वह भागने लगा तो उसके पैर में लोहे के पास से हमला किया जिससे वह गिर गया। रामदेव ने उसके सिर पर लोहे के पाईप से हमला कर दिया। बेहोश हो जाने से उसकी जेब में रखे 15,000/–रूपये नहीं मिले, आदि...आदि। इस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 347/2026 अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 119(1), 110 व 307 भारतीय न्याय संहिता में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान में प्रार्थी/अभियुक्त की अपराध 115(2), 126(2), 119(1), 110 में संलिप्तता पाते हुए उसे

गिरफ्तार किया गया। प्रकरण वर्तमान में अनुसंधानरत है।

3. जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को सुना गया।

4. विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए बहस में कथन किया है, कि प्रार्थी/अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में मिथ्या आलिप्त किया गया है, जबकि उनका प्रश्नगत अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त ने परिवादी/आहत के साथ किसी प्रकार की मारपीट नहीं की न ही किसी प्रकार की संघातिक चोटें कारित की। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 14.06.2026 से अभिरक्षा में चला आ रहा है। आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। किसी प्रकार की बरामदगी व अनुसंधान शेष नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। इन आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर स्वतंत्र किए जाने की प्रार्थना की गई।

5. इसके विपरीत विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना का कडा विरोध किया एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने की प्रार्थना की गई।

6. उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया गया, अनुसंधान पत्रावली मय तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथमदृष्ट्या धारा 115(2), 126(2), 119(1), 110 भारतीय न्याय संहिता में अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर परिवादी से शराब के लिए पैसों की मांग करने तथा पैसे नहीं देने पर परिवादी/आहत के साथ लोहे के पाईप से मारपीट कर संघातिक चोटें कारित करने का आरोप है। केस डायरी में आहत का चोट प्रतिवेदन संलग्न है, जिसमें आहत के शरीर पर कुल 7 चोटें दर्शायी गई है, जिन चोटों में से कान व सिर में 12 टांके व पैर में 6 टांके आना दर्शाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से दो अन्य प्रकरण विभिन्न पुलिस थानों में पंजीबद्ध होना दर्शाया गया है, जिनकी सूची निम्मानुसार है–

क्र. सं.	नाम थाना	एफआईआर नम्बर मय कायमी दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर/एफआर मय दिनांक	अन्य विवरण
1.	फागी जिला जयपुर	570/2019 दिनांक 02.08.2019	323, 341, 336, 34 भा. दं.सं.	सीएस नम्बर 226/2019 दिनांक 25.09.2019	–
2.	डिग्गी जिला टोंक	27/2018 दिनांक 02.02.2018	279, 338 भा. दं.सं.	सीएस नम्बर 19/2018 दिनांक 09.02.2018	–

ऐसी स्थिति में अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की राय व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर स्वतंत्र

किया जाना न्यायसंगत नहीं पाया जाता है।

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त रामदेव पुत्र छीतर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(राजपाल सिंह)

8. आदेश आज दिनांक 30.06.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल सिंह)